पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय

पटना, जिला- कोरिया (छत्तीसगढ़)

प्रवेश विवरणिका

Admission & Information Brochure

PT. JWALA PRASAD UPADHYAY GOVERNMENT COLLEGE

PATNA, DIST.- KOREA (C.G.)

naveencollege.patna@gmail.com

प्राचार्य की कलम से....

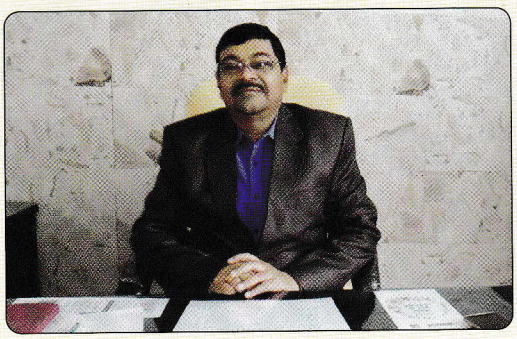

पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है।

यह गर्व की बात है कि उच्च शिक्षा के लिये आपने इस महाविद्यालय का चयन किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं, कि आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हम सब मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा का उपदेश - युवाओं का संर्वागीण विकास है, विकास का अवसर प्रदान करना, संसाधन जुटाना, परिवेश निर्मित करना, संस्था का दायित्व है। प्रतिभाएं शहरी क्षेत्र का विशेषाधिकार नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे भरे पड़े हैं, आवश्यकता सिर्फ अवसर प्रदान करने की है।

अध्ययन, मनन, धारण, लेखन सब आपको करना है। हम पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, प्रायोगिक सुविधाएं, खेलकूद की सुविधाएं एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था द्वारा आपको हर संभव मदद करेंगें।

अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है, राष्ट्रीय सेवा योजना के सहभागी बनकर आप सेवाभावी आदर्श नागरिक बनकर देश का नाम रौशन कर सकते है। रेडक्रॉस के सहभागी बनकर जन-कल्याणकारी वैश्विक लक्ष्य हासिल कर सकते है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण, लेखन आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का सतत् प्रयास कर सकते है।

महाविद्यालय स्तर पर बनी हुई विभिन्न समितियां आपके विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी।

प्राचार्य से आप कार्यालयीन समय में कभी भी आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं .....

डॉ. आई.एल. देवांगन
प्राचार्य

पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय
पटना, जिला-कोरिया (छ.ग.)

स्थापना वर्ष : 2012-13

(संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर से सम्बद्धता प्राप्त)

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 20..... 20 .....

प्रकाशक

पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय
शासकीय महाविद्यालय पटना, जिला-कोरिया (छ.ग.)

ई-मेल - naveencollege.patna@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	महत्वपूर्ण सूचना	03
02	सरस्वती वंदना	04
03	आमुख	05
04	इतिहास	06
05	उद्देश्य एवं लक्ष्य	07
06	कक्षा विषय	08
07	परिचय पत्र	09
08	शुल्क विनिमय, प्रत्याहरण	10
09	विश्वविद्यालय नामांकन, उपस्थिति एवं अवकाश, खेलकूद व शारीरिक शिक्षा	11
10	राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अन्य	12
11	ग्रंथालय नियमावली, वाचनालय	13
12	छात्रवृत्ति एवं शुल्क छूट	14
13	परिनियम	15
14	अनुशासन	16
15	प्रवेश संबंधी नियम	17-25
16	प्रवेश के आवश्यक नियम	26-27
17	शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची	28

महत्वपूर्ण सूचना

महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक तथा प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र-छात्राओं के लिये यह विवरण पत्रिका अत्यंत उपयोगी है महाविद्यालय के विभिन्न विभागो तथा अध्यापन किये जा रहे सभी विषयों के साथ शुल्क की जानकारी इस पत्रिका में दी गई है, अतः छात्रों को सलाह दी जाती है, कि इसका अध्ययन उनके लिये लाभकारी होगा।

इस विवरण पत्रिका में दिये गये सभी नियम महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बदले जा सकते है। समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना समयानुसार दी जायेगी एवं महाविद्यालय के सभी छात्रों पर ये नियम बंधनकारी होंगे।

प्राचार्य
पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय
शासकीय महाविद्यालय पटना,
जिला-कोरिया (छ.ग.)

।। सरस्वती वंदना ।।

हे शारदे माँ....हे शारदे माँ....
अज्ञानता से, हमें तारदे माँ
तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे।
हम है अकेले, हम है अधूरे
तेरे शरण हम, हमें प्यार दे माँ
हे शारदे माँ.... हे शारदे माँ....

मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी
वेदों की भाषा, पुराणों की बानी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जाने
विद्या का हमको अधिकार दे माँ।।
हे शारदे माँ..... हे शारदे माँ.....

तू श्वेतवर्णी, कमल पर विराजे
हाथों मे वीणा, मुकुट सर पे साजे।
मनसे हमारे, मिटाके अंधेरे
हमको उजालो का संसार दे माँ।
हे शारदे माँ..... हे शारदे माँ.....
अज्ञानता से, हमें तारदे माँ
हे शारदे माँ..... हे शारदे माँ.....

आमुख

सरस्वती महाभागे,
विद्ये कमललोचने।
विद्यारूपे विशालाक्षि
विद्यां देहि नमोस्तुते।।
माँ सरस्वती

1. इस विवरण पत्रिका का उद्देश्य महाविद्यालयीन नियमों गतिविधियों से छात्रो को सुपरिचित कराना है तथा यह आशा की जाती है कि ये सभी नियमों का भली-भांति पालन करें।

2. महाविद्यालय उच्च शिक्षा का पवित्र मंदिर है। अतः प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मन वचन एवं कर्म से इसका संरक्षण व संवर्धन करेगा तथा महाविद्यालय प्रांगण में अथवा बाहर ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिससे महाविद्यालय या इसके अन्य किसी घटक को लज्जित होना पड़े।

3. छात्रों के लिये परिचय-पत्र लाना अनिवार्य है, इसको लाना उनके हक में होगा। बिना इसको लाये छात्रों को ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त नहीं हो सकेगी।

4. महाविद्यालय कक्ष, ग्रंथालय या प्रत्येक कार्यक्रम में पूर्ण शांति, अनुशासन व्यवस्था बनाये रखना प्रत्येक छात्र-छात्रा का दायित्व है।

5. अध्यापक आपके अग्रज, मार्गदर्शक और साथी है, अतः उन्हें सम्मान दीजिए।

6. महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक आपकी समस्याओं को हल करने के लिये तत्पर होगा।

7. प्राचार्य से भी निःसंकोच व्यक्तिगत कठिनाईयो को दूर करने हेतु परामर्श लीजिए।

पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना, जिला-कोरिया (छ.ग.)

इतिहास

अविभाजित मध्यप्रदेश एवं वर्तमान छत्तीसगढ़ के बैकुण्ठपुर (कोरिया) से 14 किलोमीटर की दूरी पर भैयाथान रोड पर महाविद्यालय स्थित है। पिछड़े क्षेत्र के इस भूभाग में सत्र जुलाई 2012 में यह महाविद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना में प्रारंभ हुआ। उस समय महाविद्यालय में 72 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत थे। वर्तमान में छात्र/छात्राओं की संध्या 464 है। 24 जून 2017 से नव निर्मित भवन में महाविद्यालय संचालित है। जनभागीदारी समिति का गठन हो गया है। एवं रेडक्रास सोसायटी भी कार्यरत है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिनांक 02.07.2014 से 50 इकाई के साथ प्रारंभ किया गया एवं वर्तमान में 100 छात्रो की इकाई है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के अन्तर्गत 2F-12B सम्बद्धता के लिये आवेदन किया गया है। सम्बद्धता मिलने पर आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकेगी, जिससे महाविद्यालय का विकास होगा।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

महाविद्यालय का उद्देश्य और प्रयोजन महाविद्यालय के ध्येय ध्यावान लभतज्ञानय प्रतिविदित हैं। राज्य शासन ने महाविद्यालय के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये है:-

अ) शैक्षणिक कार्यो के माध्यम से राष्ट्र के सर्वांगिण उन्नति के प्रयास करना।

ब) छात्रों की बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक प्रगति के लिए सतत् प्रयास करना।

स) आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज एवं युवा वर्ग में चेतना जागृत करना।

द) उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं संस्थाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना ।

जनभागीदारी समिति:-

महाविद्यालय के विकास के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना, स्थानीय नागरिकों एवं विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन किया गया है।

शैक्षणिक सत्र :- महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। सत्रावसान विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि से होगा। प्रतिवर्ष प्रारंभ एवं समापन राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार तिथियों में होगा।

कक्षा एवं विषय :-

इस महाविद्यालय को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के निम्नालिखित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं विषयों में संबध्दता प्राप्त है।

स्नातक कक्षाएं

कला संकाय	कुल स्थान
बी.ए. भाग-एक	105
बी.ए. भाग-दो	105
बी.ए. भाग-तीन	105
विज्ञान संकाय (बायो समूह)	
बी.एस.सी. भाग-एक	105
बी.एस.सी. भाग-दो	105
बी.एस.सी. भाग-तीन	105
वाणिज्य संकाय	
बी.कॉम भाग-एक	60
बी.कॉम भाग-दो	60
बी.कॉम भाग-तीन	60

स्नातकोत्तर कक्षाएं

विषय	कुल स्थान
एम. ए. राजनीति	30
एम. ए. इतिहास	30

स्नातक कला संकाय के लिए विषय :-

1. **अनिवार्य विषय** - आधार पाठ्यक्रम- 1. हिन्दी भाषा/ 2. अंग्रेजी भाषा
2. **वैकल्पिक विषय** - हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल (कोई तीन)

अ) विषय चयन - छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर समय सारणी (टाईम टेबल) का निर्माण किया जाता है। महाविद्यालय में अध्यापन की सुविधा के लिए उपयुक्त विषयों को ग्रुपों में रखा गया हैं अतः इन्ही ग्रुपों में से किसी एक को चयन करना होगा।

निम्नलिखित विषयों समूहो में से किन्ही तीन विषयों को चयन करना होगा।

वैकल्पिक विषय :-

1. समाजशास्त्र, 2. अर्थशास्त्र, 3. भूगोल, 4. हिन्दी साहित्य

प्रवेश नियम :- महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन - पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र एवं महाविद्यालय विवरण-पत्रिका महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त हो सकेगी।

आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) की मूल प्रति।

ब) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियॉ) में स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि/फोटो स्टेट कॉपी।

स) चरित्र प्रमाण पत्र (Charecter Certificate) नियमित छात्रो को पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें)

द) प्रवजन प्रमाण पत्र- अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों के लिए लागू होगा ।

इ) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

फ) पासपोर्ट आकार के दो फोटो।

घ) जाति प्रमाण पत्र, केवल अनु. जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगें।

छ) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट :-

1. अनुत्तीर्ण तथा महाविद्यालय में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्र का रहेगा ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमाकी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्र के आचरण में संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही छात्रों का प्रवेश स्थायी समझा जायेगा। महाविद्यालय का यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दें।
6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे प्रवेश पत्र/ परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी।
7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिए, जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र का अंक सूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा 10 रू. के ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ-पत्र देकर रखना होगा।
8. छात्र द्वारा आवेदन में शपथ-पत्र स्थाई एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

परिचय पत्र (Identity Card) :-

1. परिचय पत्र महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय निर्धारित शुल्क जमा करने पर परिचय पत्र प्राप्त की जा सकेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा। ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।
4. परिचय पत्र सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र/छात्रा का कर्त्तव्य है।
5. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय पढ़ाई के साथ ही प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
6. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना पड़ेगा।
7. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
8. परिचय पत्र के खो जाने पर 10 रू. शुल्क तथा दो प्रतियॉ पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनःप्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु नया परिचय पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

शुल्क विनिमय :-

1. एक बार कोई शुल्क जमा हो जाने के बाद उसका किसी भी प्रकार का प्रत्यपर्ण नहीं हो सकेगा।

2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों में अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क जमा करना पड़ेगा। चाहे जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दे।

3. संस्था छोड़ने के तीन वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि का प्रत्यपर्ण नहीं किया जावेगा।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है, कि शुल्क जमा करने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। कोई भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इन महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाय उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा।

प्रत्याहरण (Willielraw)

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा रखता है, तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

ब) समस्त शुल्क को जमा करना होगा।

स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क महाविद्यालय को देना होगा।

द) महाविद्यालय से प्राप्त निम्न सहायता निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

छ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन देना होगा।

ज) स्थानांतरण प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रो को 10 रू शुल्क के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

झ) अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद ही की जावेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन :-

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा । प्रवेश के साथ नामांकन फार्म भरना चाहिए।
2. कोई छात्र जिसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से या किसी अन्य परीक्षा जो सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से मान्यता प्राप्त हो, जो उच्चतर माध्यमिक शाला उत्तीर्ण की हो, वह महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है।
3. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित शुल्क एवं छात्र-छात्रा की योग्यता प्रमाणित करते हुए आवेदन पत्र अग्रेषित किया जावेगा।
4. नामांकन शुल्क किन्हीं भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगा।
5. शैक्षणिक सत्र के 30 सितम्बर तक नामांकन पत्र आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए। किन्तु विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर इस तिथि को दो माह के आगे कुलपति के अनुमति से बढ़ा सकते है।
6. किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से दण्डित निष्काषित एवं खास अवधि के लिए प्रतिबंध छात्र/छात्रा इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगें।

उपस्थिति एवं अवकाश :-

1. छात्र/छात्राओं की उपस्थिति प्रत्येक विषय के कक्षा में नियमित रूप से होनी चाहिए। जिस छात्र/छात्राओं की उपस्थिति विषय या प्रश्न-पत्र 75% से कम होगी उन्हें विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
2. उपस्थिति प्रत्येक काल खण्ड में ली जाती है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है, उसे इस संबंध में संबधित प्राध्यापक को सूचना देना चाहिए।

खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा :-

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ छात्रों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा नितांत आवश्यक है, अतः महाविद्यालय का प्रयास रहा है कि वह अपने खिलाड़ियों को यथा संभव अधिकतर खेल सुविधा प्रदान कर सके। महाविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, वॉलीबाल, बास्केट बॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी आदि खेलो की सुविधा प्रदान की जाती है।

अपने संसाधनों के अनुरूप महाविद्यालयीन क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। क्रीड़ा गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु क्रीड़ा समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्राचार्य द्वारा मनोनित तीन प्राध्यापक एवं क्रीड़ा अधिकारी सम्मिलित होगें। खेलकूद संबंधी जानकारी हेतु संक्षेप में कुछ दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं, जिसका पालन करना आवश्यक है।

1. खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन :-

(क) खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शिका अनुसार होगा। जिसके अंतर्गत महाविद्यालय जिला एवं अंतर जिला स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगितायें आयोजित होगी। इसी तारतम्य में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगितायें होगी।

(ख) जिला स्तर की प्रतियोगिता हेतु केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं का चयन संभव हो सकेगा, जिसका पिछला किसी प्रकार की क्रीड़ा ड्यूज बकाया ना हो तथा अनशासनहीनता की शिकायत दर्ज न हो, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित पात्रता की अर्हताओं को पूर्ण करता हो।

2. खेल (सामग्री) प्रदाय :-

(क) विभिन्न स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु जो क्रीड़ा सामग्री दी जाती है, उसे प्रतियोगिता के समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

(ख) महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु महाविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को जो व्यक्तिगत कीट (सामग्री) प्रदान की जाती है। उसकी आधी राशि खिलाड़ी को परीक्षा प्रवेश-पत्र प्राप्ति के पूर्व महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

3. प्रमाण-पत्र पारितोषिक वितरण :-

(क) महाविद्यालय प्रतियोगिता एवं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेता-उपविजेता खिलाड़ियों को तथा विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान स्वरूप पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(ख) पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की पात्रता केवल उन्हीं खिलाड़ियों को होती है, जिसका ड्यूज पूर्ण हो तथा अनुशासनहीनता का आरोप न हो।

राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में 100 छात्रों की एक संयुक्त इकाई का स्थापना राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा की गयी है। राष्ट्रीय विकास में छात्रों के रचनात्मक सहयोग एवं ग्रामीण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय सत्र प्रारंभ होने के एक माह के भीतर निर्धारित आवेदन पत्र देकर नामांकन कराना होगा। निश्चित तिथि बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जायेगी। प्रत्येक छात्र को वर्ष में कम से 120 घण्टे पूरा करने पर कम से कम एक शिविर में भाग लेने पर रा.से.यो. प्रमाण-पत्र की पात्रता होगी। इस समय एन.सी.सी. के समान ही **बी** तथा **सी** सर्टिफिकेट प्रदान करने की व्यवस्था है इसके लिये समाज में होने वाले रा.से.यो. कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

यह कार्यक्रम प्रायः अवकाश के दिनों में संचालित होता है। इन दिनों निकट के गाँवों में समाज सेवा हेतु अपने वाहन से जाना होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में अनुशासन आवश्यक है।

ग्रंथालय :-

छात्रो के बौद्धिक विकास एवं अध्ययन सुविधा हेतु महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय है। पुस्तकों का उपयोग निदिष्ट नियमों के अंतर्गत संभव हो सकेगा। ग्रंथालय के कार्यो को सुचारू रूप से संचालन के लिये ग्रंथपाल उत्तरदायी होंगें। उनकी सहायता के लिये ग्रंथालय समिति होगी।

ग्रंथालय नियमावली :-

1. ग्रंथालय की सुविधाओं से लाभ उठाने वाले छात्र-छात्राओं को अनिवार्यतः पुस्तकालय के नियमों का पालन करना होगा।
2. पुस्तक 15 दिनों की अवधि के लिये निर्गमित की जावेगी यदि पुस्तके निर्धारित तिथि पर नही लौटाई गयी तो प्रतिदिन के प्रति पुस्तक की दर से विलम्ब शुल्क चुकाना होगा।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त पुस्तक को रखने के इच्छुक पाठको को पुस्तकालय से नवीनीकरण करवाना होगा।
4. ग्रंथालय के पुस्तको को फाड़ना, उन पर लिखना अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना वर्जित है। ग्रंथालय से जाने के पूर्व भली भाँती जाँच कर लेनी चाहिए। अतः किसी प्रकार की काट-छाट अथवा क्षति को सूचित कर देना चाहिए। अन्यथा उक्त पाठक को उत्तरदायी ठहराया जावेगा। और पुस्तक की नवीन प्रति अथवा उसका मूल्य चुकाना (भरना) होगा। पुस्तक के गुमने या न लौटा पाने की दशा में वर्तमान बाजार मूल्य की दुगुनी राशि व देय फाईन चुकाना होगा।
5. संदर्भ ग्रंथ, विशिष्ट पुस्तके एवं पत्रिकायें केवल ग्रंथालय में उपयोग किये जा सकते है। उन्हे निर्गत नही किया जावेगा।
6. छात्र-छात्रायें ग्रंथालय में शांत रहेंगें।
7. परिचय-पत्र अनिवार्य रूप से लाना है।
8. बुक बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को ग्रुप में पुस्तके पढ़ने को दी जाती है।

उपरोक्त ग्रंथालय के नियमों का अवज्ञा करने पर ग्रंथालय प्रवेश नियमित करने का अधिकार निरस्त किया जाता है।

वाचनालय :-

ग्रंथालय में ही वाचनालय की व्यवस्था छात्रों के मानसिक विकास के लिये समाचार पत्र व अन्य पत्र-पत्रिकायें वाचनालय में उपलब्ध रहती है, जिन्हे अवकाश के समय छात्र प्राप्त कर अध्ययन कर सकता है, जो छात्र वाचनालय में आता है। उसका यह दायित्व है कि वह देखे कि उससे वहां उपस्थित अध्ययनशील छात्र को कोई कठिनाई न हो।

छात्रवृति एवं शुल्क छूट :-

(अ) छत्तीसगढ़ शासन तथा केन्द्रीय शासन द्वारा अनेक प्रकार के छात्रवृति दी जाती है, जिसमे प्रमुख निम्नलिखित है :-

1. राष्ट्रीय छात्रवृति
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति
3. शिक्षकों में मेघावी बच्चो के लिए छात्रवृति

(ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एकीकृत छात्रवृतियाँ :-

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मेरिट कम लोक छात्रवृति
2. खेलकूद छात्रवृत्ति
3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
4. निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति
5. मृत अथवा शरीर से असमर्थ शासकीय कर्मचारी के बच्चो को विशेष छात्रवृत्ति
6. अपंगो के लिये छात्रवृत्ति
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा जाति के लिये छात्रवृत्ति

विशेष :-

(अ) इसके अतिरिक्त शासन की अन्य छात्रवृत्ति भी है, जिनकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इसके लिये छात्र 31 अगस्त तक कार्यालय में प्राप्त निर्धारित आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करें।

शुल्क में छूट :-

1. छात्र सहायता निधि से (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को छोड़कर) गरीब व जरूरत मंद छात्रों को परीक्षा शुल्क के लिये सहायता प्रदान की जाती है।
2. इस महाविद्यालय मे कार्यरत् कर्मचारियों एवं बच्चो से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
3. यदि उपयुक्त सुविधा प्राप्त छात्रों के व्यवहार में अनुशासनहीनता पाई गयी तो उनको मिलने वाली समस्त सुविधायें समाप्त कर दी जावेगी।

परिनियम

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर मे रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर में बाहर घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन मे नही होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :-
    1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चाटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
    2. मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लैश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डाटना आदि।
    3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
    4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्राऐं अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।
    5. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालय मे गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड मे चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक आहूत की जावेगी। यह वरिष्ठतम् प्राध्यापक मुख्य डॉक्टर कहलायेंगे।
4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा।
    1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।
    2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
    3. दोषी छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय प्राचार्य विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।
    4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नही कर सकेगा।
6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा छात्रा द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत मे लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

अनुशासन

1. महाविद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया गया है जो शारीरिक बौद्धिक सामाजिक व मूल्यो का विकास करें। इसका तात्पर्य कार्यो को करने की व्यवस्था क्रमबद्धता, नियमों तथा आज्ञाओं का पालन। अनुशासन वह है जिसका शैनः शैनः आत्मनियंत्रण एवं सहयोग की आदत डालने के फलस्वरूप होता है, जिसकी आवश्यकता एवं मूल्य को छात्र स्वंय स्वीकार करें। सच्चे अनुशासन का अर्थ तो आत्मनियंत्रण है। यह ऐसा स्वभाव है जो संस्था के बाहर तथा छोड़ने के बाद भी दिखाई पड़े।

2. अनुशासन की व्यवस्था महाविद्यालय मे नियमों एवं परम्पराओं का बड़ा स्थान है। सामाजिक हित के लिये बलिदान करना आवश्यक होता है, नियमों के अनुसार संस्था में कार्य करने की आदत डालने भावी जीवन मे नियमित रूप से कार्य करने मे कोई कठिनाई नही होती।

3. अतः महाविद्यालय के नियमो का पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। इस महाविद्यालय की एक परंपरा है, छात्र उससे परिचित हो और उस परंपरा निर्माण मे सहयोग दे वस्तुतः महाविद्यालय अनुशासन स्वस्थ परंपरा ही विषय है। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हीं छोटे-छोटे नियमो का पालन कर महाविद्यालय के उन्नयन, सम्मान एवं गौरव की वृद्धि मे सहयोग दें।

4. अगर कोई छात्र-छात्रा महाविद्यालय के अनशासन को भंग करेंगे तो उसे स्थानांतरण प्रमाण-पत्र दे दिया जावेगा। गंभीर अनुशासनहीनता या आचरण संबंधी त्रुटि होने पर उसे निष्कासित करने का भी प्राचार्य को अधिकार है।

5. प्राचार्य को अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिये मना कर दें और इस विषय मे किसी भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

महाविद्यालय मे प्रवेश संबंधी नियम जो कि शासन द्वारा निर्धारित है। इसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है।

1. प्रयुक्ति :-

यह मार्गदर्शक सिद्धांत छ.ग. के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, छ.ग. के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगें तथा प्राचार्य इसका पालन सुनिश्चित करें।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय प्राचार्य के समक्ष निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिय आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। बोर्ड/वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय मे परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि के 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो पहले होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश दिया जाये किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने एवं आवेदन का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 पुनर्मूल्यांकन मे उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

किसी संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। विधि संकाय की कक्षाओं मे गुणानुक्रम को आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए :-

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं मे 30 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 30 जुलाई तक कुलपति के अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय मे पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि. वि. द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो पहली हो मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपभोग सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। संबंद्ध वि.वि. द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय समूह का निर्धारण किया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं विषय/विषय समूह में निर्धारण प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों का प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारण अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांक को गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने के उपरांत एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क 100 रूपये अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप में वसूला जावेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, (छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी) निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीय बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापियों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय में विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष मे किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित तथा संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडिएट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम/बी.एस.सी./स्नातक परीक्षा आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एच.एस.सी./एम.ए. एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को अगले सेमेस्टर मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन/सी.बी.एस.ई. तथा अन्य राज्यो के विद्यालयों/इंटरमीडियट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में रिक्त महाविद्यालय मे जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऐसोसिएशन युनिवर्सिटी के सदस्य है। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है उस्मानिया एवं तकातिया (काकतीय) विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.कॉम डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबंद्ध विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय तथा अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबंद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम/बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश पात्रता है। किन्तु संबद्ध वि.वि./ महाविद्यालय मे पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूह में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जावे।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयो से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंद्ध वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय मे पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय मे निर्धारित एग्रीकेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 से 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा मे अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि. विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा मे पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र मे आवेदित कक्षा मे नियमित प्रवेश नहीं लिया तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित होगा कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

9.2 जिसके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत होगा।

9.3 महाविद्यालय मे तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/ छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश नहीं देने के लिये अधिकृत है।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा - (क) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष मे 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई के आधार पर की जावेगी। परन्तु आयु सीमा बंधन में महिला छात्राओं को छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय द्वारा तथा उनके संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश मे अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अर्धशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि मे लगने वाले महाविद्यालय मे नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वार नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय मे स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष मे संबद्ध वि.वि. में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं मे प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षाएं, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं मे पूरक के छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीग्रेट प्राप्त करने वाले छात्र को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत् रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषयसमूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य हेतु अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 15% तथा 18% स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10% अंको के अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए।

12.4 सभी वर्गो मे उपलब्ध स्थानो से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची मे रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान पर प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थान के लिए पर्यटन छात्र-छात्राऐं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स :-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोबर्स के अर्थ मे पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी-सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	सी-सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता मे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 15 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/अंर्तराष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को	- 15 प्रतिशत

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्य / सांस्कृतिक / क्विज / रुपांकन प्रतियोगिता

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	- 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला के क्षेत्र में) चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग./म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के प्रत्येक सदस्यों को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापियों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन -

(क) एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स ऑथारिटी ऑफ इंडियन द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का बर्गर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

बशर्ते कि -

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय मे प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम मे अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 मे उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानक्रम सूची मे अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

16. विशेष -

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों शासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शिका सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार संचालक, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों मे समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संचालक उच्च शिक्षा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

टीप :- शासन द्वारा इन नियमो में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा ।

प्रवेश के आवश्यक नियम

महाविद्यालय मे प्रवेश प्राप्ति के लिए इच्छुक सभी छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरें आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपियां संलग्न करें-

1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल)
2. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल)
3. पिछली परीक्षा की अंक सूची
4. प्रवजन प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार)
5. जाति प्रमाण-पत्र
6. प्रवेश आवेदन पत्र में फोटो चिपकायें
7. निवास प्रमाण-पत्र
8. आधार कार्ड / परिचय पत्र

प्रवेश प्राप्त होने एवं सूचना पटल पर नाम आ जाने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति परीक्षण कार्यालय में करायें।

शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश सम्पन्न माना जायेगा। शुल्क जमा करते समय प्रत्येक विद्यार्थी को दो पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ जिसमें पीछे विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हो, कार्यालय में देना होगा। तब उसे फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड दिया जावेगा। फोटो का उपयोग परिचय पत्र बनाने के लिए होगा। जिसमें विद्यार्थी को प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर कराने होंगे।

किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी। प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा।

डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के लिए शपथ-पत्र और शुल्क 10 रूपये मात्र जमा करना अनिवार्य है यह राशि शासकीय मद मे जमा होगी।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम -

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा मे सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उस परीक्षा मे बैठने से रोका जा सकता है जिन छात्रों की उपस्थिति 31 अक्टूबर तक 50% से कम होगी उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे। उपस्थित की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।

समय-समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ो की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबधित प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से सम्पर्क साधक जानकारी लेना चाहिए। उपस्थिति में कमी संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थियों या उनके पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान -

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार विश्वविद्यालय की छात्र महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र-छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है जो रैगिंग करने वाली छात्र-छात्राओं पर भी लागू होगा।

1. निलम्बन।
2. निष्कासन।
3. रेस्टीकेशन।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

प्राचार्य
पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय
शासकीय महाविद्यालय पटना
जिला-कोरिया (छ.ग.)

शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राचार्य, प्राध्यापक/ सहा. प्राध्यापक

1. डॉ. आई.एल. देवांगन	प्रभारी प्राचार्य एवं सहा. प्राध्यापक-समाज शास्त्र एम.ए.समाज शास्त्र, भूगोल, एम.फिल., पी.एच.डी.
2. श्री एस. एस. राजवाड़े	सहा. प्राध्यापक-हिन्दी, एम.ए., सेट
3. डॉ. श्रीमती बरखा सिंह	सहा. प्राध्यापक-वनस्पति शास्त्र, एम.एस.सी., पी.एच.डी.

टीप :- अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन, जन्तु विज्ञान, वाणिज्य के रिक्त पदो पर अतिथि व्याख्याता मद से नियुक्ति कर अध्यापन कार्य कराये जाते है।

कार्यालय स्टॉफ

1.	श्री पदुमन सिंह सोन्चे	सहायक ग्रेड - दो
2.	श्री रोहित कुमार साहू	सहायक ग्रेड - तीन
3.	श्रीमती दुर्गावती राजवाड़े	प्रयोगशाला तकनीशियन
4.	श्री सियाराम सिंह	प्रयोगशाला तकनीशियन
5.	श्री अमित रंजन तिग्गा	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	श्री रजनीकांत सोनवानी	प्रयोगशाला परिचारक
7.	श्री दीपक कुमार उपाध्याय	प्रयोगशाला परिचारक
8.	श्री कृष्ण बिहारी कुजूर	भृत्य
9.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह	भृत्य

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

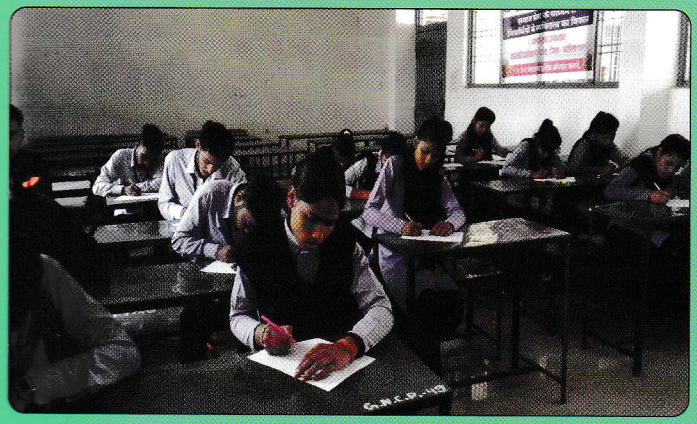

अनुलोम-विलोम के साथ ध्यान का अभ्यास

हरिभूमि न्यूज ▸▸ पटना

आयुक्त उच्च शिक्षा एवं कार्यक्रम समन्वयक संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर के निर्देशानुसार एवं प्राचार्य डॉ. आईएल देवांगन के संरक्षण में शा स की य पं डि त ज्वा ला प्र सा द महाविद्यालय पटना में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

खास बात

- पटना महाविद्यालय में उत्साह के साथ मनाया योग दिवस

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर योग प्रशिक्षक ननकू राम गुप्ता के द्वारा किया गया। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार योग प्रदर्शन प्रार्थना, गृवाचालन, स्कन्द संचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, वक्रासन, मकरासन, भुंजगासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, शवासन का अभ्यास कराते हुए प्राणायाम अंतर्गत कपाल भांति, अनुलोम बिलोम, शीतली, भ्रामरी एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। द्वितीय चरण में योग पर आधारित व्याख्यान हुआ, इसमें योग प्रशिक्षक ननकू राम गुप्ता ने योग के महत्व एवं लाभ पर विस्तार से जानकारी दी एवं योग को अपना कर निरोग रहने की अपील की। रासेयो कार्यक्रम अधिकारी प्रो.शिवशंकर राजवाड़े ने कार्यक्रम का संचालन किया और सभी से योग को अपनाकर निरोग रहने की बात कही। निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, इसमें प्रथम स्थान प्रियांशु जायसवाल द्वितीय सोनम साहू, एवं तृतीय स्थान जितेन्द्र कुमार ने प्राप्त किया। भाषण अंतर्गत महेश साहू, संज्ञा विश्वकर्मा, पूजा मित्तल तथा चंद्रकांत सोलंकी ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ डॉ. बरखा सिंह, रोहित कुमार साहू, दुर्गावती राजवाड़े, सियाराम, रजनीकांत सोनवानी सहित ग्रामीण महेश कुजूर, कृष्ण बिहारी कुजूर, रामलाल, रूपसाय शामिल रहे।

योग करते छात्र-छात्राएं।

योग को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता

बैकुंठपुर। आयुक्त उच्च शिक्षा एवं राज्य रासेयो अधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार [illegible] महाविद्यालय में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रदर्शन कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। [illegible]

कोरोना: पटना कॉलेज के छात्र कर रहे लोगों को जागरूक

पटना. पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र, छात्राएं देश में फैले महामारी की इस मुश्किल समय में भी अपने-अपने ग्राम में लोगों को नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जनजागरूकता अभियान चलाकर अपना एक प्रयास अपने आप को संक्रमण से बचाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे है. महाविद्यालय के सक्रिय स्वयंसेवक रविन्द्र कुमार साहू, कुमारी सीमा कुशवाहा, बिहारी लाल साहू, महेश नाविक, संतोष कुमार एवं अन्य रासेयो छात्र, छात्राएं लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करते हुए मास्क बॉटने एवं गांव के मुख्य दीवालों पर जनजागरूकता नारा लिखकर भी प्रेरित कर रहे है. स्वयं सेवकों के इस कार्य से रासेयो राज्य संपर्क अधिकारी डॉ. समरेन्द्र सिंह, कार्यक्रम समन्वयक विष्वविद्यालय डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, जिला संगठक प्रो० एमसी हिमधर, प्राचार्य डॉ. आईएल देवागंन, कार्यक्रम अधिकारी शिवशंकर राजवाड़े साथ ही महाविद्यालय स्टॉफ डॉ. बरखा सिंह, रोहित कुमार साहू, दुर्गावती राजवाड़े ने सराहना करते हुए इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया है.

दिनांक - 10/11/19

रिया **हरिभूमि** 14

कॉलेज के शिक्षा स्तर में सुधार लाने रखें विचार

पटना। पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना में प्राचार्य डॉ. आईएल देवांगन की अध्यक्षता में महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों, अतिथि व्याख्याताओं एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों का स्टॉफ काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी महाविद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव, छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, एनएसएस विशेष शिविर, छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कालेज में अनुशासन एवं पढ़ाई के स्तर में और सुधार लाने के लिए सभी से अपना-अपना मत लिया गया। बैठक में सहायक प्राध्यापक शिव शंकर राजवाड़े, डॉ. बरखा सिंह, पदुमन सिंह सोन्चे, रोहित कुमार साहू, दुर्गावती राजवाड़े, सियाराम, अमीत रंजन तिग्गा, दीपक उपाध्याय, रजनीकांत, कृष्ण बिहारी, मिथलेश, गजेन्द्र नामदेव, स्नेहा यादव, पूनम यादव, पंकज कुमार, अखिलेश सेन, मनोज देवांगन, सुदीप साकेत, अनिल देव एवं छात्रसंघ पदाधिकारी अमनदीप, दिव्या कुशवाहा, अशोक कुमार, वैष्णवी, गंगामती, काजल, सूर्या, सबीह, आलोकी, आरती आदि उपस्थित रहे।

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ